न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक : 05.01.2024

वाद पत्र सं. 03/2024

1. हनुमानाराम   बनाम   रामलाल आदि

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री राहुल सैनी
अप्रार्थीः–श्री शिवगौतम सोलंकी

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

: निर्णय :

न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी सं. 05, 07 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि

1. प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष दावा में स्वयं ने अंकित किया है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 129, 130 आर.एल.आर. एक्ट बाबत पुनः पत्थरगढ़ी कराने ख. नं. 722/7 तादादी 3.1489 हैक्ट. वाके रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू हेतु प्रस्तुत किया है।
2. प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं व वर्तमान याचिका के पक्षकार के विरूद्ध ही खेत खसरा सं. 722/7 तादादी 3.1489 हैक्ट. भूमि रोही खण्डवा पट्टा चूरू बाबत ही पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा ही फैसल दिनांक 21.01.2022 को किया गया और प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 05.04.2022 आदेश की पालना में पत्थरगढ़ी की गई और मौके पर पत्थर रोपे गये। जो तथ्य प्रार्थी स्वयं द्वारा स्वीकृत तथ्य है और प्रार्थी ने अपनी द्वितीय याचिका में भी अंकन किया है।
3. कानूनन Sec. 11 of CPC-Res Judicata के अनुसार यदि कोई Suit or issue or proceeding जो समान पक्षकारों के बीच, समान/एक सम्पति बाबत हो और पूर्व का दावा/कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा सुनकर और अंतिम रूप से निस्तारित किया गया हो तो उस बाबत पुनः कोई आदेश समान तथ्य/ Issue बाबत ही जारी किया जा सकता है।
4. आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के अनुसार a plaint can be rejected-where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any low.
5. धारा 11 सी.पी.सी. [illegible] पत्थरगढ़ी हेतु दायर की गयी है कानून Barred by law होने से न तो पोष[illegible] ही चलने योग्य है काबिले खारिज के है और पूर्व में पेश की गयी [illegible] का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
6. प्रार्थी ने याचिका में यह कहीं अंकित [illegible]हीं किया है कि अप्रार्थी[illegible] कब, किस दिनांक को किसके समक्ष पूर्व में की गयी पत्थरगढ़ी के पत्थरों को उखाड़[illegible] प्रार्थी के खेतों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested

रोपा, जो उक्त तथ्य केवल मात्र इस याचिका को रंगत देने हेतु अंकित किये गये है किन्तु समस्त तथ्य जानबूझकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से छिपाये है जिस हेतु प्रार्थी ने यह याचिका Clean Hand से पेश नहीं की है और प्रार्थी को यह याचिका पेश करने हेतु कोई Cause of Action भी प्राप्त नहीं है, बल्कि मौके पर पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेश जो पत्थर रोपित किये गये वहीं आज तक मौके पर मौजूद है प्रार्थी ने उक्त याचिका में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि कब व किसके द्वारा उक्त पूर्व रोपित पत्थरों को हटाकर पुनः रोपित किया ओर उक्त वाके को कितना समय हो गया और प्रार्थी ने उक्त याचिका के साथ ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण भी पत्रावली पर पेश नहीं किये है और न ही प्रार्थी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने बाबत कोई प्रार्थना–पत्र ही पेश किया है और न ही किसी अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत ही पेश की है, जिससे भी यह प्रमाणित है कि प्रार्थी ने केवल मात्र मनघडंत रूप से अप्रार्थीगण को पुनः परेशान करने हेतु यह याचिका पेश की है जो कूननन न तो पोषणीय है बल्कि Barred by law होने से काबिले खारिज के है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि उपर्युक्त आधारों पर प्रार्थी का यह द्वितीय याचिका खारिज फरमाई जावे।

7. अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर पत्रावली सीधे बहस में नियत की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कानूनन Sec. 11 of CPC-Res Judicata के अनुसार यदि कोई Suit or issue or proceeding जो समान पक्षकारों के बीच, समान/एक सम्पति बाबत हो और पूर्व का दावा/कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा सुनकर और अंतिम रूप से निस्तारित किया गया हो तो उस बाबत पुनः कोई आदेश समान तथ्य/ Issue बाबत् ही जारी किया जा सकता है। केवल मात्र मनघडंत रूप से अप्रार्थीगण को पुनः परेशान करने हेतु यह याचिका पेश की है जो कूननन न तो पोषणीय है बल्कि Barred by law होने से काबिले खारिज के है। प्रार्थी की ओर से दौराने ए बहस न्यायालय द्वारा निर्णित दिनांक 21.01.2022 को किया गया जिसमें तहसीलदार चूरू को पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमाया गया और दिनांक 05.04.2022 को पटवारी एवं गिरदावर द्वारा ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू तहसीलदार चूरू के आदेश क्रमांक भू.अ./2022/1115–17 दिनांक 05.04.2022 की पालना में पत्थरगढ़ी की गई और मौके पर पत्थर रोपे गए। अप्रार्थीगण द्वारा कुछ दिनों बाद पत्थरों को उखाड़कर प्रार्थी के खेतों में रोप दिये गये और उखाड़े गये पत्थरों की जगह को भरकर अप्रार्थीगण द्वारा ट्रेक्टरों से पाड़ कर दी गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज कर प्रार्थना–पत्र में आगामी कार्यवाही की जावे।

8. उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 05 व 07 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। यह निर्विवाद है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इसी भूमि खसरा नं. 722/7, रक[illegible] खण्डवा पट्टा चूरू के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में मा[illegible]लय द्वारा दिनांक 21.01.2022 को निर्णय पारित कर पत्थरगढ़ी [illegible] आदेश की पालना में दिनांक 05.04.2022 को तहसी[illegible]र पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पूर्ण कर पत्थर रोपित किए गए। वर्तमान वाद में प्रार्थी द्वा[illegible]पुनः उसी भूमि के संबंध में पत्थरगढ़ी कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested

हेतु याचिका प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट, ठोस एवं विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि पत्थरों को कब हटाया गया, किसके द्वारा हटाया गया, इस संबंध में कोई शिकायत या वैधानिक कार्यवाही की गई हो। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज अथवा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता (Res Judicata) के अनुसार एक ही विषय, एक ही पक्षकारों के मध्य, जो वाद पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका हो, उस पर पुनः वाद विचारणीय नहीं होता। वर्तमान प्रकरण में पक्षकार समान हैं विवादित संपत्ति समान है विषय (पत्थरगढ़ी) समान है पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिया जा चुका है अतः वर्तमान वाद त्मे श्रनकपबंज के सिद्धांत से बाधित (barred by law) है। आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. के अनुसार यदि वाद किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित हो, तो वादपत्र प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद पूर्व में निर्णीत वाद का पुनरावर्तन है। यह वाद धारा 11 सी.पी.सी. के तहत बाधित है। अतः यह वाद आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. के अंतर्गत खारिज किए जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 09.03.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested